

डिक्री व मुकदमें ईत्लादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या. प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 191/2025

गरजिन्द्र सिंह पुत्र श्री बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 02 बुगलावाली तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ राजस्थानवादी

बनाम्

1. बलकरण सिंह पुत्र श्री बक्षीसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 02 बुगलावाली तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ राजस्थान
2. सुखदीपकौर पत्नि बलकरणसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 02 बुगलावाली तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ राजस्थान
..... प्रतिवादीगण



राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते
हनुमानगढ कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री सुशील कुमार वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री दीपक वकील
प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि
चक 21 एमजेडी खाता संख्या 68/65 ज.स. 2072-72 में प्रतिवादी संख्या 1 बलकरण सिंह के नाम दर्ज
कृषि भूमि मे से वादी को प.न. 95/182 मु.न. 45 किला नम्बर 1,10,11,12,19,20,21 कुल 1.771 हैक्ट.कृषि
भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर इनका खाता अलग कायम कर इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1
हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है:-

नोट:- वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड
में अमल दरामद किया जावे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बावत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय
शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 23.6.2023 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया